

गणना का आधार

| समीकरण | गणना का आधार |
|--|--|
| प्राचल की उत्प्लावकता | प्राचल की वृद्धि/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि |
| प्राचल (एक्स) की उत्प्लावकता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में | प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर/प्राचल (वाई) की वृद्धि दर |
| वृद्धि दर (आर.ओ.जी.) | $[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि}/\text{विगत वर्ष की धनराशि})-1]\times 100$ |
| विकास पर व्यय | सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं |
| राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान | $\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2]\times 100$ |
| ब्याज विस्तार | सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - आकलित ब्याज दर |
| मात्रा विस्तार | ऋण स्टॉक X ब्याज विस्तार |
| बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत | $\text{प्राप्ति ब्याज} [(\text{प्रारम्भिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष})/2]\times 100$ |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय |
| राजकोषीय घाटा | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां |
| प्राथमिक घाटा | राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान |
| वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.) | राजस्व प्राप्तियां - लेखाशीर्ष 2048 - ऋण की कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर व्यय |

पदों की व्याख्या

| पद | व्याख्या |
|----------------------------------|--|
| उत्प्लावता अनुपात | आधारभूत चर में दिये गये परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की अनुकूलता अथवा लचीलेपन को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2008-09 में 0.8 राजस्व प्राप्तियों की ओर 0.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है यदि सकल राज्य घरेलू एक प्रतिशत की दर से बढ़ती है। |
| कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स | कोर पब्लिक गुड्स ऐसी सामग्रियों जिनका उपभोग सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति करता है एवं किसी व्यक्ति द्वारा उस सामग्री के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को उस सामग्री के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कानून एवं व्यवस्था का आरोहण, हमारे अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय सामग्रियां तथा सड़क अवसंरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी सामग्रियां हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुफ्त या सहायित दरों पर इसलिए उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि लोगों अथवा संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा जिसके भुगतान के लिए उनके पास न ही क्षमता है और न ही इच्छाशक्ति। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरणार्थ गरीबों को पोषण प्रदान करने हेतु सहायित या मुफ्त भोजन को उपलब्ध करना, मृत्यु दर को घटाने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि। |
| विकास व्यय | व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यों पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं से विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर व्यय है। |
| ऋण एवं संवहनीयता | राज्य द्वारा ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को परिभाषित करता है एवं संबंधित के ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने, तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए। |
| ऋण स्थिरता | यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थित होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर—ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण*दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटा के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा। |
| गैर—ऋणप्राप्तियों की पर्याप्तता | वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर—ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर—ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी। |
| उधार निधियों की निबल उपलब्धता | उधार निधियों की निबल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निबल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है। |

| | |
|--------------------------|--|
| विनियोग लेखे | विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारत विनियोगों के अंतर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) निधियों की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अंतर्गत बचत या अधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय को विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है। |
| स्वायत्त निकाय | जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है। |
| वचनबद्ध व्यय | राजस्व लेखों पर मुख्यतया ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं। |
| राज्य क्रियान्वयन अभिकरण | राज्य सरकार द्वारा जिसमें कोई संगठन/संस्था, अशासकीय संगठनों को सम्मिलित कर राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि। |
| आकस्मिक देयतायें | किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण। |
| शोधन निधि | सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है। |
| प्रत्याभूति विमोचन निधि | राज्य के समेकित निधि पर ऋणी जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती है। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए। |
| आन्तरिक ऋण | भारत में लोगों द्वारा नियमित प्राप्त ऋणों के आंतरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकल ऋण" भी कहा जाता है यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है। |
| प्राथमिक राजस्व व्यय | राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है। |
| पुनर्विनियोग | मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण। |
| लोक लेखा समिति | विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों पर, रिपोर्ट की जाँच करें एवं यह समिति जिसकी जाँच करना आवश्यक समझें। |

प्रथमाक्षरी

| प्रथमाक्षरी | पूर्ण विस्तार |
|-------------------|--|
| ए सी बिल | आकस्मिक सार बिल |
| ए ई | कुल व्यय |
| बी ई | बजट अनुमान |
| सी ए जी | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक |
| सी ई | पूँजीगत व्यय |
| डी सी सी बिल | विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल |
| डी सी आर एफ | ऋण संकलन एवं राहत सुविधा |
| डी ई | विकास व्यय |
| एफ सी पी | राजकोषीय सुधार पथ |
| एफ आर बी एम | राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 |
| जी ओ आई | भारत सरकार |
| जी एस डी पी | सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
| आई पी | ब्याज भुगतान |
| एम टी एफ आर पी एस | मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विवरण |
| एन पी आर ई | आयोजनेतर राजस्व व्यय |
| ओ एण्ड एम | संचालन एवं रख-रखाव |
| पी ए सी | लोक लेखा समिति |
| पी आर आई | पंचायती राज संस्थायें |
| आर ई | राजस्व व्यय |
| आर आर | राजस्व प्राप्तियाँ |
| एस एण्ड डब्ल्यू | वेतन एवं मजदूरी |
| एस ए आर | पृथक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन |
| एस एस ई | सामाजिक सेवा व्यय |
| टी ई | कुल व्यय |
| टी एफ सी | तेरहवां वित्त आयोग |
| यू सी | उपभोग प्रमाण-पत्र |
| यू एल बी | नगरीय स्वायत्त निकाय |